संख्या–1 / 3 / 96–का–4–2012

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक: 08 दिसम्बर, 2012

विषयः–सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22.3.2012, दिनांक 22.5.2012 एवं दिनांक 13.7.2012 के क्रम में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर–8 में निम्न प्राविधान हैं:–

"शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण दिनांक 31.7.2012 तक पूर्ण कर लिये जायें। दिनांक 31.7.2012 के उपरान्त शासन स्तर से कोई स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे, जब तक कि मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो। इसी प्रकार समूह 'ख' के अन्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा. विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा।"

2. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा उपर्युक्त प्राविधानों / निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कदापि न किये जायें।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या–1 / 3 / 96(1)–का–4–2012, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
4. सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।
5. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण।

आज्ञा से,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 22 सा0 नियुक्ति–11–12–2012–(3012)–2000+2 प्रतियां (कम्प्यूटर / आफसेट)।